

फार्म - "अ"

(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश-पत्र (रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अभनपुरका मामला क्रमांक 202504/11/10006/ सन् 2024-25
विषय अवैध वृक्ष कटाई मावजे की श्रेणी अ/62 ग्राम हसदा, चिपरीडीह, डोंगीतराई, पिपरौद, पटेवा, कुर्रा,
सोनेसिल्ली, गोबरा नवापारा, पारागांव बन्दोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
अभनपुर कलेक्टर का क्रमांक सन् 20 -..... अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक सन्
20 तहसीलदार का क्रमांक सन् 20 -..... नायब तहसीलदार का क्रमांक सन् 20....

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान ↓	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही 202504/11/10006/ अ/62-2024-25	जहाँ आवश्यक हो पक्षों अथवा वकीलों का हस्ताक्षर आदेश का पालन करने वाले लिपिक के हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
(1)	(2)	(3)
17/04/2025	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) द्वारा 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र कुरुद से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजिम तक 220 के.व्ही. डी. सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण की अनुमति विद्युत अधिनियम की धारा-68 के अनुसार छ.ग. शासन के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आदेश क्रमांक 848/एफ-15 /20/2023/पा.ला.नि./13/2 द्वारा प्राप्त है। उक्त 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र कुरुद से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजिम तक 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के अंतर्गत आने वाले तहसील गोबरा नवापारा के अंतर्गत ग्राम हसदा, चिपरीडीह, डोंगीतराई, पिपरौद, पटेवा, कुर्रा, सोनसिल्ली, गोबरा नवापारा, पारागांव के कृषकों/भू-स्वामियों के प्रभावित निजी/शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों का क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि की गणना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई थी. जिसका सत्यापन कर तहसीलदार गोबरा नवापारा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। “विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-68 की कंडिका 5 के अनुसार जहाँ किसी शिरोपरी लाईन के निकट खड़े या पड़े कोई वृक्ष या जहाँ कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाईन बिछाने के पश्चात्त्वर्ती किसी शिरोपरी लाईन के निकट रखी गई है, या गिर गई है। विद्युत के प्रवाह, प्रवहण या पारेषण या किसी संकर्म के पहुंच मार्ग को अवरुद्ध करती है या बाधा डालती है या अवरुद्ध करने या बाधा डालने की संभावना है, वहाँ कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर उस वृक्ष संरचना या वस्तु को हटवा सकेगा या अन्यथा ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह उचित समझे।” उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तथा तहसीलदार गोबरा नवापारा के सत्यापन के आधार पर निम्नानुसार निजी/शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों का क्षतिपूर्ति मुआवजा निर्धारित किया जाता है :- तहसील गोबरा नवापारा	

क्र.	ग्रामों का नाम	निजी भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण			शासकीय राजस्व भूमि स्थित वृक्षों की जानकारी			कुल मुआवजा राशि(5+8)
		प्रभावित कुल कृषकों की संख्या	वृक्षों की संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	प्रभावित कुल शासकीय भूमि की संख्या	वृक्षों की संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हसदा	10	67	74342.00	1	10	14890.00	89232.00
2	डोंगीतराई	29	206	303039.00	2	12	20578.00	323617.00
3	धिपरीडीह	20	120	164273.00	निरंक	निरंक	निरंक	164273.00
4	पिपरीद	19	51	142399.00	3	45	46616.00	189015.00
5	पटेवा	5	14	22973.00	1	15	16347.00	39320.00
6	कुरा	5	18	71838.00	1	6	2755.00	74593.00
7	सोनेसिल्ली	7	19	25613.00	1	1	230.00	25843.00
8	गोबरा नवापारा	19	43	76161.00	2	5	2009.00	78170.00
9	पारागांव	16	100	119696.00	2	9	10979.00	130675.00
	कुल योग	130	638	1000334.00	13	103	114404.00	1114738.00

उपरोक्तानुसार ग्रामों के के.व्ही. लाइन के नीचे आने वाले वृक्षों के प्रभावित कृषकों/भूमिस्वामियों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि वितरण की कार्यवाही एवं शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि शासन के पक्ष में चालान/चेक के माध्यम से जमा कराया जावे एवं इस कार्यालय को अवगत कराने के पश्चात वृक्षों को नियमानुसार काटने की कार्यवाही किया जावे, संबंधित एजेंसी वृक्षों को वन विभाग के पर्यवेक्षण में कटाई कर वृक्षों को निर्धारित वनविभाग के डिपों ग्राम तर्फी में जमा करवायेगा। तदनुसार पत्र जारी हो। पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।


 अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
 अमनपुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.), अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग.

क्रमांक/४५/वाचक-1/अविअ/2025
प्रति,

//ज्ञापन//

अभनपुर, दिनांक 17/04/2025

सहायक अभियंता,
अ.उ.दा.(नि.) संभाग,
छ.ग.स्टेट पॉवर ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर

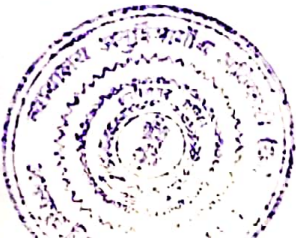
विषय :- 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र कुरुद से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजिम तक 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन निर्माण के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के प्रस्तावित कृषकों/भूस्वामियों के भूमि पर स्थित वृक्षों की क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण व कटाई की अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- 1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड गुड़ियारी रायपुर का पत्र क्रमांक/सहा.अभि./अ.उ.दा.(नि.)/441 रायपुर दिनांक 06.01.2025
2. कार्यालय तहसीलदार गोबरा नवापारा जिला रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 05/वा-1/तह./2025 नवापारा दिनांक 14.01.2025

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) द्वारा 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र कुरुद से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजिम तक 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण की अनुमति विद्युत अधिनियम की धारा-68 के अनुसार छ.ग. शासन के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आदेश क्रमांक 848/एफ-15 /20/2023/पा.ला.नि. /13/2 द्वारा प्राप्त है। उक्त 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र कुरुद से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजिम तक 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के अंतर्गत आने वाले तहसील गोबरा नवापारा के अंतर्गत ग्राम हसदा, चिपरीडीह, डोंगीतराई, पिपरौद, पटेवा, कुर्रा, सोनसिल्ली, गोबरा नवापारा, पारागांव के कृषकों/भू-स्वामियों के प्रभावित निजी/शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों का क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि की गणना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जिसका सत्यापन कर तहसीलदार गोबरा नवापारा द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

“विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-68 की कंडिका 5 के अनुसार जहाँ किसी शिरोपरी लाईन के निकट खड़े या पड़े कोई वृक्ष या जहाँ कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाईन बिछाने के पश्चात्त्वर्ती किसी शिरोपरी लाईन के निकट रखी गई है, या गिर गई है। विद्युत के प्रवाह, प्रवहण या पारेषण या किसी संकर्म के पहुंच मार्ग को अवरुद्ध करती है या बाधा डालती है या अवरुद्ध करने या बाधा डालने की संभावना है, वहाँ कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या समुचित सरकार या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर उस वृक्ष संरचना या वस्तु को हटवा सकेगा या अन्यथा ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह उचित समझे।”



(Signature)

T-G-

उपरोक्तानुसार आपके प्रस्ताव तथा तहसीलदार गोबरा नवापारा के सत्यापन के आधार पर निम्नानुसार निजी/शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों का क्षतिपूर्ति मुआवजा निर्धारित किया जाता है :- तहसील गोबरा नवापारा

क्र.	ग्रामों का नाम	निजी भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण			शासकीय राजस्व भूमि स्थित वृक्षों की जानकारी			कुल मुआवजा राशि(5+8)
		प्रभावित कुल कृषकों की संख्या	वृक्षों की संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	प्रभावित कुल शासकीय भूमि की संख्या	वृक्षों की संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हसदा	10	67	74342.00	1	10	14890.00	89232.00
2	डोंगीतराई	29	206	303039.00	2	12	20578.00	323617.00
3	चिपरीडीह	20	120	164273.00	निरंक	निरंक	निरंक	164273.00
4	पिपरीद	19	51	142399.00	3	45	46616.00	189015.00
5	पटेवा	5	14	22973.00	1	15	16347.00	39320.00
6	कुरा	5	18	71838.00	1	6	2755.00	74593.00
7	सोनेसिल्ली	7	19	25613.00	1	1	230.00	25843.00
8	गोबरा नवापारा	19	43	76161.00	2	5	2009.00	78170.00
9	पारागांव	16	100	119696.00	2	9	10979.00	130675.00
	कुल योग	130	638	1000334.00	13	103	114404.00	1114738.00

उपरोक्तानुसार ग्रामों के के.व्ही. लाईन के नीचे आने वाले वृक्षों के प्रभावित कृषकों/भूमिस्वामियों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि वितरण की कार्यवाही एवं शासकीय भूमि में स्थित वृक्षों की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि शासन के पक्ष में चालान/चेक के माध्यम से जमा कराया जावे एवं इस कार्यालय को अवगत कराने के पश्चात वृक्षों को नियमानुसार काटने की कार्यवाही किया जावे, संबंधित एजेंसी वृक्षों को वन विभाग के पर्यवेक्षण में कटाई कर वृक्षों को निर्धारित वनविभाग के डिपों ग्राम तरी में जमा करवायेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.),
अभनपुर
अभनपुर, दिनांक 17/04/2025

क्रमांक/ /वाचक-1/अविअ/2025
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, नवापारा को समुचित पर्यवेक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अनुविभागीय अधिकारी(रा.),
अभनपुर

T-G-

07C
17/04/25
Pradeep Jha
96/7/56840